

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)382 / संस्था / बीमा / 2019 /

दिनांक : 18-04-2019

आदेश 27

विभाग में नियमित रूप से चयनित/कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में अनन्तिम वरिष्ठता सूची 15 दिवस का आक्षेप समय प्रदान करते हुए निम्न प्रकार से जारी की जाती है :


प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	अजा / अजजा	चयन वर्ष	वर्तमान पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री रसिक बिहारी शर्मा		2018-19	जयपुर संभाग द्वितीय	सेवानिवृत्ति 31.07.2019
2.	श्री खींधाराम गोदारा		2018-19	जोधपुर शहर	सेवानिवृत्ति 31.07.2019
3.	श्री कमल कान्त सिरोही		2018-19	बीकानेर संभाग	सेवानिवृत्ति 31.01.2020

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	अजा / अजजा	चयन वर्ष	वर्तमान पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री राम सिंह बैरवा पुत्र श्री पून्याराम	अजा	2017-18	अलवर	सेवानिवृत्ति 31.05.2019
2.	श्री कल्याण सहाय मीणा पुत्र श्री भौरीलाल	अजजा	2017-18	मुख्यालय, जयपुर	
3.	श्री पूनम चन्द खुराना	अजा	2017-18	सा.बी.निधि, जयपुर	सेवानिवृत्ति 31.08.2019
4.	श्री भैरव लाल मीणा	अजजा	2017-18	कोटा	सेवानिवृत्ति 30.09.2019
5.	श्रीमती इंदु गोयल		2017-18	जयपुर ग्रामीण	सेवानिवृत्ति 30.04.2019

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(के.एम.दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)382 / संस्था / बीमा / 2019 / 686-735

दिनांक : 18-04-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- संयुक्त अधिकारीगण, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर/साधारण बीमा योजना/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त वरिष्ठता सूची की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का श्रम करें।
- सिस्टम्स एनालिस्ट/उप निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त वरिष्ठता सूची को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें ताकि सम्बन्धित कर्मचारी उपरोक्त वरिष्ठता सूची डाउनलोड कर सकें।
- वरिष्ठता निर्धारक/केडर स्ट्रेथ लिपिक
- नोटिस बोर्ड मुख्यालय/जिला कार्यालय
- रक्षित पत्रावली


(रामपाल वर्मा)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन),
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।